



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2017/पौष 16, 1938

No. 12]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2017/PAUSA 16, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 12(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

(1) इन नियमों को विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में, नियम 76 में, शब्द "व्यावसायिक सेवाएं (कानूनी सेवाओं एवं लेखाकरण को छोड़कर), आपरेटर रहित किराया/पट्टा सेवाएं", शब्द "व्यावसायिक सेवाएं, आपरेटर रहित किराया/पट्टा सेवाएं" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सी-2/4/2016-एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि. संख्या 54(अ) तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और, सा. का.नि. 1094(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2017

G.S.R. 12(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—

(1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in Rule 76, for the words “professional services (excluding legal services and accounting) rental/leasing services without operators”, the words “professional services, rental/leasing services without operators” shall be substituted.

[F. No. C-2/4/2016-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and was lastly amended *vide* notification G.S.R 1094(E), dated the 21st November, 2016.